

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाडनू

निर्णय दिनांक 17.10.2019

राजस्व वाद संख्या 43/2019(2019/00095)

मोहम्मद बनाम हनुमान

प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली आज पेष हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी का मूल वाद जरिये विड्रोल खारिज हो जाने के कारण इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र की जरिये विड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिले दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया मूल वाद के साथ हमफिता रहे।

(मुकेश चौधरी)

उपखंड मजिस्ट्रेट,
उपखण्ड अधिकारी

लाडनू

